न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 36 / 2016 / बाड़मेर

अपीलांट रेस्पोडेंटगण

1. लुणाराम पुत्र माता नेनू वगै. **बनाम** 1.पहाड़सिंह पुत्र पाबूदानसिंह वगै.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम

उपस्थिति

1. वकील श्री रामस्वरूप भाटी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री प्रेमाराम सोनी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 24.12.2019

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि वर्तमान में अरसा एक माह पूर्व उतरदाता संख्या 01 द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर अपीलांट को जबरन बेंदखल करने व भूमि को आगे बेचान करने की धमकियां दी जाने लगी तब अपीलांट ने हल्का पटवारी से वादग्रस्त भूमि से संबंधित अंतिमतम जमाबंदी नकल दिनांक 18.04.2016 को प्राप्त हुई। अधिवक्ता अपीलांट ने आगे बहस में बताया कि अपीलांट का पूरक शपथ–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अपील से सम्बन्धित दस्तावेजात पेश किये गये थे उन पर दिनांक 24.01.2014 की अंकित हैं। अपीलांट द्वारा अपीलांट अधिवक्ता के समक्ष उन दिनों में घरेलु एवं मजदूरी कार्य हेतु बाहर गया हुआ होने से नहीं आ सका। अपीलांट दिनांक 25.04.2016 को अपीलांट अधिवक्ता से मिला व हस्तगत अपील पेश करने की कार्यवाही की गई। अपीलांट अनुसूचित जाति का सदस्य एवं ग्रामीण परिवेश व अनपढ होने की वजह से कानून की पेचिदगियों को समझ नहीं सका। अनुसूचित जाति के सदस्यों पर मियाद का बिंदु लागू नहीं होता है अपीलांट को प्रकरण गुणावगुण पर निस्तारण का मौका दिया जावे। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRD 1998 Page 537
RRD 1998 Page 319

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

RRD 1998 Page 396
RRD 1998 Page 585
RRD 1998 Page 678
RRD 1983 Page 159
RRD 2016 Page 759
RRT 2006(1) Page 385
RRT 2008(1) Page 683
RRT 2001(2) Page 929
DNJ 2013 Page 123
DNJ 2013 Page 106

अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मामले को लंबा करने हेतु हस्तगत अपील पेश की गई है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान निर्णय की दिनांक से ही था। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ज्ञान किस प्रकार, किसके माध्यम से हुआ इसका कोई उल्लेख अपने प्रार्थना–पत्र में नहीं किया गया है। अपीलांटगण ने असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का विवरण बताना होता है जबकि अपीलांट द्वारा 16 वर्ष की सुदीर्घ अवधि के बाद पेश अपील में हुई देरी का विवरण नहीं बताया गया। अपीलांट द्वारा दिनांक 10.12.2019 को पेश शपथ–पत्र में हुई विलंब हो स्वीकार कर रहे है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ पेश प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 05 अधिनियम में बताये तथ्य सरासर झूठे एवं कल्पना पर आधारित है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की नकले दिनांक 24.01.2014 को ही प्राप्त कर ली थी उसके बाद भी हस्तगत अपील दिनांक 26.04.2016 जो तकरीबन 02 वर्ष 03 माह की सुदीर्घ अवधि के बाद पेश की गई तथा इस अवधि का भी कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया गया है। अपीलांट द्वारा बताया कि मियाद का बिंदु अनुसूचित जाति के सदस्यों पर लागू नहीं होता जबकि मियाद का बिंदु सभी जातियों के पक्षकारों पर लागू होता है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

DNJ (SC) 2014 Page 310
RRT (SC) 2014(2) Page 1331
RBJ 2015(12) Page 132
RRT (HC) 2017(1) Page 711
RBJ 2016 Page 572
RRT 2015(1) Page 232

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकले दिनांक 24.01.2014 को प्राप्त हुई तथा हस्तगत अपील दिनांक 26.04.2016 को पेश की गई तथा इस अवधि के बारे में अपीलांट द्वारा एक शपथ–पत्र दिनांक 10.12.2019 को पेश किया गया उस समय अपील मियाद के बिंदु पर बहस में विचाराधीन थी। अपीलांट द्वारा न्यायालय को अंधेरे में रख कर एक झूठा शपथ–पत्र पेश किया गया जिसका कोई आधार एवं संतोषप्रद कारण नहीं बताया है। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है: और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। अपीलांट द्वारा पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलांटगण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी इतने समय तक केसे नहीं हुई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांतों का गंभीरता पूर्वक अवलोकन मनन किया बाद मनन न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हस्तगत प्रकरण पर अधिवक्ता अपीलांट द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत लागू नहीं होते है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर हबहू लागू होते है

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

DNJ(SC) 2014 Page 310(Delay of more than 10 years in filing appeal Appeal dismissed and condonation of delay refused Delay and inordinate delay Sufficient cause is a condition precedent for exercising the discretion for condoning the delay Court cannot condone the delay if it is not properly, satisfactorily and convincingly explained Delay cannot be condoned on sympathetic grounds Held, High Court has not committed any error in rejecting the appeal and application)

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपीलांट द्वारा अपील तकरीबन 16 वर्ष की देरी के बाद पेश की गई जबकि इतनी सुदीर्घ अवधि को Explain भी नहीं किया गया। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है।

अतः अपील अपीलांट मियाद के बिंदु पर खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 196/1981 बअनवान इमरती कायम मुकाम बनाम पहाड़सिंह वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2000 को यथावत रखा जाता है।

24/12/19

(नाथूसिंह जसोल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 24.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/12/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner